[2021] 5 एस. सी. आर. 368

परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग नं। 45 ई.

भारत का 220 राष्ट्रीय उच्च न्यायालय प्राधिकरण

वी.

एम. हैकीम और ए. एन. आर.

(2021 की सिविल अपील संख्या 2756)

20 जुलाई, 2021

[आर. एफ. नरीमन और बी. आर. गवई, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 34 संशोधन

न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय की अनुमति-आयोजित: एस के तहत अदालत की शक्ति। 34 अधिनियम, 1996 के किसी मध्यस्थ के अधिनिर्णय को "अपास्त" करने में ऐसे अधिनिर्णय को संशोधित करने की शक्ति शामिल नहीं होगी-यह कहना कि न्यायिक प्रवृत्ति एक ऐसी व्याख्या के पक्ष में प्रतीत होती है जिसे अनुभागों में पढ़ा जाएगा। 34 पुरस्कार को संशोधित करने, संशोधित करने या परिवर्तित करने की शक्ति 1940 के अधिनियम में निहित पिछले कानून की उपेक्षा करना होगी; साथ ही इस तथ्य को भी नजरअंदाज करना कि 1996 का अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, 1985 पर UNCITRAL मॉडल कानून के आधार पर अधिनियमित किया गया था, यह स्पष्ट करता है कि, इस पर सीमित न्यायिक हस्तक्षेप को देखते हुए

सीमित आधार जो किसी पुरस्कार के गुणों से संबंधित नहीं हैं, एस के तहत सीमित उपाय। 34 सीमित अधिकार 'के साथ सह-समाप्ति है, अर्थात्, या तो एक पुरस्कार को अलग करने या मामले को रिमांड के तहत

एस में उल्लिखित परिस्थितियाँ। 34 मध्यस्थता अधिनियम, 1996

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956: एसएस। 3 जी, 3 एच-राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन अधिनियम, 1997 का उद्देश्य अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना है-एस के तहत आपत्तियों की सुनवाई की अवधि को 30 दिनों से घटाकर यह हासिल किया गया है। 5 भूमि अधिग्रहण अधिनियम का ए एस के तहत 21 दिनों के लिए। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम का सी इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के विपरीत,

एस के तहत अधिसूचना। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम (धारा 6 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के समतुल्य) के डी (2) को बनाया जाता है, भूमि केंद्र सरकार में पूरी तरह से निहित होती है जो सभी बाधाओं से मुक्त होती है-इसके बाद, जहां भूमि केंद्र सरकार में निहित होती है और राशि

एस के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित। 3 केंद्र सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में जी जमा किया गया है एस. 3 एच (1), सक्षम प्राधिकारी तब निर्देश दे सकता है कि उसके द्वारा नोटिस की सेवा के 60 दिनों के भीतर कब्जा ले लिया जाए। इसके अलावा, आदेश

368 परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग नं। 45 ई.

और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हैकीम

एस को देखते हुए राजमार्ग परियोजनाओं के खिलाफ अब प्राप्त करना असंभव हो गया है। 20 विशिष्ट राहत अधिनियम का ए, जिसे डब्ल्यू. ई. एफ. 01.10.2018-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894-एस. एस. शुरू किया गया है। 5 ए, 6.

भूमि अधिग्रहण: विभेदक क्षतिपूर्ति-आयोजित: इस आधार पर पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है कि एक अलग सार्वजनिक उद्देश्य की मांग की गई है हासिल करने के लिए।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. एनएचएआई अधिनियम के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी,

परिभाषित किया गया है कि धारा 3 (ए) में पहले एक ऐसी राशि का निर्धारण करना है जो अनिवार्य अधिग्रहण के लिए मुआवजे के रूप में देय है।

भूमि। धारा 3 जी (5) के तहत, यदि उक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो राशि

किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन करने पर, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जाएगा। द.

' सक्षम प्राधिकारी 'एक व्यक्ति या प्राधिकरण है जो केंद्र सरकार द्वारा मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए अधिसूचना द्वारा अधिकृत है। वर्तमान मामले में, एक विशेष जिला राजस्व अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित करने की अधिसूचना जारी की गई है। उपरोक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि को दोनों पक्षों में से किसी एक के आवेदन पर मध्यस्थ को भेजा जाना है। उक्त मध्यस्थता एक सहमति प्रक्रिया नहीं है जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति में दोनों पक्षों का हाथ है। वास्तव में, भूमि मालिक का मध्यस्थ की नियुक्ति में कोई अधिकार नहीं है, जिसे केवल अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी, यानी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है। [पैरा 12] [382-सी-एफ]

2. धारा 34 में केवल बहुत सीमित आधारों पर पुरस्कारों को अलग करने का प्रावधान है, ऐसे आधार उप-धाराओं में निहित हैं। (2) और धारा 34 का (3)। दूसरा, जैसा कि धारा 34 के सीमांत नोट से संकेत मिलता है, मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अदालत का "सहारा" केवल उप-धारा (2) और (3) के अनुसार ऐसे पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन द्वारा किया जा सकता है। पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन (तीसरा संस्करण) में "सहायता" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -

किसी अधिकार को लागू करने का प्रवर्तन या तरीका। जहां अधिकार को ही काट दिया जाता है, ऐसे कटे हुए अधिकार का प्रवर्तन भी प्रकृति में सीमित हो सकता है। उक्त प्रावधानों को पढ़ने से जो बात स्पष्ट होती है, वह यह है कि [2021] 5 एस. सी. आर. के तहत चुनौती के सीमित आधारों को देखते हुए।

उप-धारा (2) और (3) में केवल पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह उप-धारा (4) से और भी स्पष्ट हो जाता है, जिसके तहत धारा 34 की उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर अदालत धारा 34 की कार्यवाही को स्थगित कर सकती है।

मध्यस्थता पुरस्कारों में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप की विधायी नीति। इसके विपरीत, मध्यस्थता की धारा 15 और 16 के तहत अधिनियम, 1940, न्यायालय को धारा 16 के तहत पुरस्कार भेजने की शक्ति के अलावा, धारा 15 में उल्लिखित परिस्थितियों में एक पुरस्कार को संशोधित या सही करने की शक्ति दी गई है। [पारस 17 और 18] [384-जी-एच; 385-ए]

4. यह तय कानून है कि धारा 34 की कार्यवाही में पुरस्कार के गुण-दोष पर कोई चुनौती नहीं है। [पैरा 21] [386 - डी]

एमएमटीसी लिमिटेड बनाम। वेदांत लिमिटेड, (2019) 4 एस. सी. सी. 163: [2019]

3 एस. सी. आर. 1023-निर्भर।

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बनाम डेलीम इंडस्ट्रियल कं. लिमिटेड (2007) 8 एससीसी 466: [2007] 9 एससीआर 724; डीडीए बनाम। आर. एस. शर्मा एंड कंपनी (2008) 13 एस. सी. सी. 80 [2008]

12 एससीआर 785; रॉयल एजुकेशन सोसाइटी बनाम। एल. आई. एस. (इंडिया) कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड (2009) 2 एस. सी. सी. 261; दक्षिण

हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम। नाविक

टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. लिमिटेड 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 157 -

अप्रयोज्य रखा गया।

गायत्री बालास्वामी बनाम। आई. एस. जी. नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 6568; सांगयोंग इंग। &

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई, (2019) 15 एससीसी 131: [2019] 7 एस. सी. आर. 522; रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम

जनरल इलेक्ट्रिक कं, 1994 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 644: [1993]

3 पूरक।

एस. सी. आर. 22; महाराष्ट्र राज्य विद्युत परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 ई.

और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हैकीम

वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम दातार स्विचगियर लिमिटेड, (2018)

3 एससीसी 133: [2018] 1 एस. सी. आर. 733; मैकडरमोट

इंटरनेशनल इंक. वी. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, (2006) 11 एस. सी. सी. 181 [2006] 2 पूरक। एससीआर 409; किन्नरी मलिक बनाम। घनश्याम दास दमानी (2018) 11 एस. सी. सी. 328; डायना टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड बनाम। क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड (2019) 20 एस. सी. सी. 1; साइबरनेटिक्स नेटवर्क प्रा. लिमिटेड वी. बिस्केयर टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 1155;

नसली स्विट्जरलैंड लिमिटेड बनाम। आयोजन समिति राष्ट्रमंडल खेल 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 4834; पुरी कंस्ट्रक्शन पी. लिमिटेड बनाम। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड. 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 9126; गौतम कंस्ट्रक्शंस एंड फिशरीज लिमिटेड बनाम। राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक

ग्रामीण विकास (2000) 6 एससीसी 519; टाटा हाइड्रो विद्युत विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ (2003) 4 एस. सी. सी. 172; हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। मित्रों कोयला

कार्बनीकरण, (2006) 4 एस. सी. सी. 445; कृष्ण भाग्य जल निगम लिमिटेड बनाम। जी. हरिश्चंद्र रेड्डी, (2007) 2 एस. सी. सी. 720 [2007] 1 एस. सी. आर. 698; केंद्रीय भंडारण निगम। वी. ए. एस. ए. ट्रांसपोर्ट, 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन पागलपन

972 ; आई. एस. जी. नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम गायत्री बालासामी 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 15819 संदर्भित को।

5. यह कहना कि न्यायिक प्रवृत्ति एक ऐसी व्याख्या के पक्ष में प्रतीत होती है जो धारा 34 में पुरस्कार को संशोधित करने, संशोधित करने या बदलने की शक्ति को पढ़ती है, पिछले कानून की अनदेखी करना होगा।

1940 के अधिनियम में निहित; साथ ही इस तथ्य की अनदेखी करने के लिए कि 1996 का अधिनियम UNCITRAL मॉडल कानून के आधार पर अधिनियमित किया गया था

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता, 1985, जैसा कि रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में बताया गया है,

यह स्पष्ट करता है कि, पर सीमित न्यायिक हस्तक्षेप को देखते हुए

अत्यधिक सीमित आधार जो किसी अधिनिर्णय के गुण-दोष से संबंधित नहीं हैं, धारा 34 के तहत 'सीमित उपचार' 'सीमित अधिकार' के साथ सह-समाप्ति है, अर्थात् या तो एक अधिनिर्णय को अलग करना या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 में उल्लिखित परिस्थितियों के तहत मामले को रिमांड करना। [पैरा 40] [399-डी-एफ]

6. विवादित फैसले के समर्थन में प्रस्तुत करने पर आते हुए कि तथ्य यह है कि केंद्र सरकार एक [2021] 5 एस. सी. आर. की नियुक्ति करती है।

इसलिए मध्यस्थ और मध्यस्थता सहमति से नहीं होगी, जिसके परिणामस्वरूप एक सरकारी कर्मचारी एक पुरस्कार पर मुहर लगा देता है जिसे तब उसके गुण-दोष के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, संभवतः इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सकता है कि इसलिए, गुण-दोष के आधार पर एक कोच और चार को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिए। [पैरा 42] [400-सी-डी]

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। मुख्यमंत्री 2021 एससीसी

ऑनलाइन एससी 362; रामेश्वर प्रसाद (VI) बनाम। भारत संघ (2006) 2 एससीसी 1: [2006] 1 एस. सी. आर. 562; एरा बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2017) 15 एस. सी. सी. 133: [2017] 7

एस. सी. आर. 924 संदर्भित है।

एम 'कुलोच बनाम। मैरीलैंड राज्य 17 यूएस 316 (1819) -

संदर्भित किया गया।

7. एक सांविधिक प्रावधान की व्याख्या करते समय, एक न्यायाधीश को खुद को संसद के स्थान पर रखना चाहिए और फिर पूछना चाहिए कि क्या

संसद ने इस परिणाम का इरादा किया था। संसद का बहुत स्पष्ट रूप से इरादा था कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 में किसी पुरस्कार में संशोधन की कोई शक्ति मौजूद नहीं है। [पैरा 46] [402-ए-बी]

8. कई मामलों में, एनएचएआई ने उन मामलों में भी अपील दायर नहीं की है जो समान हैं, यानी उसी धारा 3 ए से उत्पन्न होते हैं।

अधिसूचना, जिसके परिणामस्वरूप कुछ भूमि मालिक जिला न्यायालय द्वारा उन्हें दिए गए बढ़े हुए मुआवजे से बच गए हैं। इसके अलावा, मध्यस्थ ने पूरी तरह से विकृत आधार पर मुआवजा दिया है, यानी 'दिशानिर्देश मूल्य' को ध्यान में रखते हुए, जो केवल स्टाम्प शुल्क उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, और नहीं।

भूमि का उचित बाजार मूल्य। इस तथ्य को देखते हुए कि पुरस्कारों में इसलिए ये सभी मामले विकृत हैं, जिला न्यायाधीश ने ठीक ही इसमें हस्तक्षेप किया है। [पैरा 47] [402-सी-ई]

भारत संघ बनाम। तारसेम सिंह (2019) 9 एस. सी. सी. 304:

[2019] 13 एस. सी. आर. 49-संदर्भित।

9. राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन अधिनियम, 1997 का उद्देश्य अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना है। यह कटौती करके हासिल किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5 ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई की अवधि को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है।

45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हैकीम

3 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम का सी। इसके अलावा, भूमि के विपरीत

अधिग्रहण अधिनियम, जिस क्षण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम (धारा 6 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के समतुल्य) की धारा 3 डी (2) के तहत एक अधिसूचना बनाई जाती है, भूमि केंद्र सरकार में सभी बाधाओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। इसके बाद, जहां भूमि केंद्र सरकार में निहित है और धारा 3 जी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे के रूप में निर्धारित राशि केंद्र सरकार द्वारा धारा 3 एच (1) के अनुसार जमा की गई है, तो सक्षम प्राधिकारी तब निर्देश दे सकता है कि उसके द्वारा नोटिस की सेवा के 60 दिनों के भीतर कब्जा ले लिया जाए। इसके अलावा, राजमार्ग परियोजनाओं के खिलाफ निषेधाज्ञा अब बन गई है विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 20 ए को देखते हुए प्राप्त करना असंभव है, जिसे डब्ल्यू. ई. एफ. 01.10.2018 पेश किया गया है। [पैरा 50,51] [403-जी-एच; 404-ए-बी]

10. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अंतर मुआवजा इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि एक अलग सार्वजनिक उद्देश्य है

राष्ट्रीय राजमार्ग, जबकि भूमि का दूसरा भाग राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ दूरी पर है। क्या यह कहा जा सकता है कि जो भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई है और जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित किया गया है, वह भूमि के तहत अधिग्रहित की गई आस-पास की भूमि की तुलना में बहुत कम मुआवजा देगी। अधिग्रहण अधिनियम केवल इसलिए है क्योंकि पूर्व मामले में, एक पुरस्कार एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया जाता है जिसे गुण-दोष के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, जबकि संदर्भ न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग III के तहत दो अपीलों के साथ दिए गए पुरस्कार के विपरीत जिसमें पुरस्कार के गुण-दोष का उल्लेख किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि ऐसे मामलों में भेदभाव व्यापक होगा। [पैरा 55]

[405 - ई-जी]

ताहेराखातून बनाम। सलामबीन मोहम्मद (1999) 2 एस. सी. सी.

635 : [1999] 1 एस. सी. आर. 901 संदर्भित है।

[20

21] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. इस तथ्य को देखते हुए कि कई समान मामलों में, एनएचएआई

समान रूप से स्थित व्यक्तियों को मुआवजा प्राप्त करने की अनुमति दी है

प्रदत्त की तुलना में बहुत अधिक दर पर, और नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में निर्धारित कानून को देखते हुए, इसके तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग

इन मामलों के तथ्यों पर अपीलार्थियों के पक्ष में अनुच्छेद 136 को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके अलावा, इस तथ्य को देखते हुए कि इन मामलों में अधिकांश पुरस्कार वर्षों पहले दिए गए थे, इस समय इन मामलों को बहुत ही मध्यस्थ या किसी अन्य मध्यस्थ के समक्ष नए सिरे से शुरू करने के लिए वापस भेजना उचित नहीं होगा।

नियुक्त, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। [पैरा 58] [407-ई-एफ]

नागपुर सुधार न्यास बनाम। विट्ठल राव (1973) 1 एससीसी 500 [1973] 3 एस. सी. आर. 39-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 3 एससीआर 1023

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[2019] 7 एससीआर 522

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[1993] 3 पूरक। एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2018] 1 एससीआर 733

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

[2006] 2 पूरक। एससीआर 409

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

(2018) 11 एससीसी 328

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

(2019) 20 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

(2000) 6 एस. सी. सी. 519

संदर्भित किया गया है

पै

रा 30

(2003) 4 एस. सी. सी 172

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

(2006) 4 एस. सी. सी. 445

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[2007] 1 एससीआर 698

पै

रा 33

संदर्भित किया गया है

[2007] 9 एससीआर 724

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 38

[2008] 12 एससीआर 785

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 38

(2009) 2 एस. सी. सी. 261

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 38

[2006] 1 एससीआर 562

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

[2017] 7 एससीआर 924

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

पै

रा 48

परियोजना निदेशक को संदर्भित, राष्ट्रीय राजमार्ग सं। 45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हैकीम

[1973] 3 एससीआर 39

उस पर भरोसा करें

पै

रा 56

[1999] 1 एससीआर 901

संदर्भित किया गया है

पै

रा 57

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 2756

2021 से।

उच्च न्यायालय के 13.02.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. एम. ए. में मद्रास की मदुरै पीठ 2018 का (एम. डी.) No.760।

के साथ

सिविल अपील Nos.2797,2757,2758,2759,2760,2761,2762,2763,

2764 , 2765 , 2766 , 2767 , 2768 , 2769 , 2770 , 2771 , 2772 , 2773 , 2774,2775 , 2776 , 2777 , 2778 , 2779 , 2780 , 2781,2782 , 2783 , 2784 , 2785 , 2786,2787 , 2788,2789 , 2790 , 2791 , 2792 , 2793 , 2794 , 2795 , 2796 , 2798 , 2799 , 2800 , 2801 , 2802 , 2803 , 2804 , 2805 , 2806 और 2021 का 2807।

तुषार मेहता, एसजी, विक्रमजीत बनर्जी, एएसजी, पी. वी. योगेश्वरन,

सु. श्रीनिवासन, आशीष कुमार उपाध्याय, रजत नायर, कानू अग्रवाल, वाई. लोकेश, सुश्री वी. कीर्तन, अनुभव चतुर्वेदी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वी. बालाजी, चंद्रशेखर, सी.

कन्नन, सुश्री नेहा सिंह, राकेश के. शर्मा, के. वी. जगदीशवरन, सुश्री जी. इंदिरा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. प्रतिस्थापन के लिए आवेदनों की अनुमति है। छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान मामले में अपील एक दिलचस्प सवाल उठाती है -

के रूप में क्या धारा 34 के तहत एक अदालत की शक्ति

कानून

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ["मध्यस्थता अधिनियम"] में मध्यस्थ के निर्णय को "अलग रखने" के लिए इस तरह के निर्णय को संशोधित करने की शक्ति शामिल होगी। पुरस्कार। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने उक्त अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर बड़ी संख्या में अपीलों का निपटारा किया है, जिसमें कानून के रूप में कहा गया है कि कम से कम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ["राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम"] के तहत किए गए मध्यस्थता पुरस्कारों के रूप में, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत किए गए मध्यस्थता पुरस्कार में संशोधन की अनुमति दी जा सके ताकि एक विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाया जा सके।

3. इन सभी अपीलों के तथ्य निम्नानुसार जारी अधिसूचनाओं से संबंधित हैं -

अधिनियम, जो एक विशेष जिला राजस्व अधिकारी है। इन सभी मामलों में, पुरस्कार विचाराधीन भूमि के 'दिशानिर्देश मूल्य' के आधार पर दिए गए थे, न कि समान भूमि के बिक्री विलेखों के आधार पर। परिणाम यह है कि इन सभी मामलों में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा बहुत कम राशि दी गई थी। एक उदाहरण के रूप में, 2020 के एसएलपी (सिविल) No.13020 में, रु। 46.55 से 83.15 प्रति वर्ग मीटर का पुरस्कार दिया गया। इन सभी मामलों में जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए मध्यस्थता निर्णय में, सरकार द्वारा नियुक्त होने के नाते, उपरोक्त निर्णय में कोई कमजोरी नहीं पाई गई, जिसके परिणामस्वरूप सभी दावेदारों को मुआवजे की समान राशि दी गई। जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर की गई धारा 34 याचिकाओं में, इन राशियों को बढ़ाकर Rs.645 प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया और इसलिए कलेक्टर के निर्णय को संशोधित किया गया। जिला न्यायालय द्वारा इन आंकड़ों को प्रतिबिंबित करने के लिए धारा 34 मध्यस्थता अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। डिवीजन बेंच में दायर अपील में, उपरोक्त संशोधन को बरकरार रखा गया था, जिसमें कुछ पेड़ों और फसलों के लिए मुआवजा तय करने के लिए रिमांड आदेश था।

4. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने हमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की योजना के माध्यम से ले जाया है, और तर्क दिया है कि चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य, अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाना आवश्यक था,

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम को 1997 में राष्ट्रीय राजमार्ग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1997 ["राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन अधिनियम"] द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें धारा 3 से 3जे को शामिल किया गया था, जिसके तहत धारा 3ए से 3डी के तहत अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। धारा 3ई के तहत अधिग्रहित भूमि के निहित होने से पहले, अधिनियम की धारा 3जी के तहत मुआवजे का निर्धारण किया जाता है, जो अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत स्थापित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 ["भूमि अधिग्रहण अधिनियम"] के विपरीत, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वीकार्य नहीं है।

भारतीय प्राधिकरण ["एन. एच. ए. आई".] या भूमि-स्वामी, किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन करने पर, मुआवजे की राशि निर्धारित की जाएगी -

मध्यस्थ जिसे केवल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। फिर, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। सक्षम प्राधिकारी और मध्यस्थ को मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय, धारा 3जी (7) के तहत, धारा 3ए के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि के बाजार मूल्य, नुकसान और विभिन्न अन्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय संख्या को ध्यान में रखना चाहिए।

45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उपखंड में उल्लिखित कारक। महत्वपूर्ण रूप से, धारा 3 जे के तहत, भूमि अधिग्रहण अधिनियम ऐसे अधिग्रहणों पर लागू नहीं होता है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को देखते हुए, एक त्वरित प्रक्रिया प्रदान की गई थी जिसके द्वारा मध्यस्थ के पुरस्कार को केवल मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी जाती है, जो कि निर्णयों के एक समूह द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, पुरस्कार के गुण-दोष पर चुनौती नहीं है। उक्त के तहत अदालत की सीमित शक्ति धारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत एक अपीलीय न्यायालय की शक्ति के पूरी तरह से विपरीत है, और इसलिए ऐसी शक्ति केवल धारा 34 (4) के तहत पुरस्कार को रद्द करने या मध्यस्थ को पुरस्कार भेजने तक सीमित है ताकि धारा 34 के तहत चुनौती के किसी भी आधार को समाप्त किया जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि यह मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के विपरीत था, जिसमें धारा 15 के तहत एक पुरस्कार भेजने का एक विशिष्ट प्रावधान था, और आगे तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून, 1985 पर आधारित होने के कारण, विशेष रूप से चुनौती के आधार और इसके परिणामस्वरूप सीमित है।

उपाय, जो केवल सीमित परिस्थितियों में अलग रखने या भेजने के लिए है। उन्होंने तर्क दिया, धारा 34 के साथ-साथ इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कई फैसलों के अध्ययन के आधार पर कि इस अच्छी तरह से स्थापित स्थिति को संभवतः मंजूरी नहीं दी जा सकती है-जब इसके तहत मध्यस्थता की बात आती है

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, जिसमें कोई भी पक्ष एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कह सकता है, जिसे तब पक्षों द्वारा नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उन्होंने डिवीजन बेंच के फैसले पर बहस करते हुए हमला किया

यह तथ्य कि कोई भी पक्ष मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क कर सकता है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के विपरीत, और यह कि यह केंद्र सरकार है जो मध्यस्थ की नियुक्ति करती है, इस प्रकार मध्यस्थता सहमति की प्रकृति का नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में अपने आवेदन में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 की व्याख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि विवादित निर्णय कानून पर गलत था और मद्रास उच्च न्यायालय के पहले के एकल न्यायाधीश के फैसले का पालन करने में समान रूप से गलत था, जिसमें यह राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत नहीं, बल्कि मध्यस्थता अधिनियम के तहत (सहमति से मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाली) स्थिति में माना गया था कि अदालत धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को संशोधित कर सकती है। उन्होंने गायत्री बालास्वामी बनाम में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर हमला किया। आई. एस. जी. नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 6568 ने तर्क दिया कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने

कानून के मामले के रूप में यह निर्धारित किया गया था कि किसी पुरस्कार का कोई संशोधन संभव नहीं है, यह किसी एकल न्यायाधीश के लिए इस तरह के दृष्टिकोण से भिन्न होने के लिए खुला नहीं था। उन्होंने

यह भी तर्क दिया कि धारा 34 के तहत, एक पुरस्कार को अलग करने के बाद, एक नया [2021] 5 एस. सी. आर.

कानून के मामले के रूप में मध्यस्थता हो सकती थी, और यह उसके लिए खुला नहीं था

धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को अलग रखे जाने की स्थिति में एक नए मध्यस्थता को विफल करने के लिए मुवक्किल या कोई भी।

5. 2020 के एस. एल. पी. (सिविल) संख्या 12987 में प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नल आर. बालासुब्रमण्यम ने एक प्रारंभिक बिंदु के माध्यम से उठाया कि एक ही गाँव के लिए एक ही अधिसूचना से उत्पन्न होने वाले कम से कम तीन मामलों में और उनके मामले में उसी उद्देश्य के लिए, एन. एच. ए. आई. ने संबंधित विद्वान अदालत के समक्ष मुआवजा जमा किया था और वही दावेदारों द्वारा प्राप्त किया गया था। इस प्रकार विद्वान जिला न्यायाधीश के निर्णय का पालन किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि दो अन्य मामलों में, 2014 का ए. आर. ओ. पी. सं. 9,10,11 और 2013 का सी. एम. ए. No.650 से 680, एन. एच. ए. आई. ने जिला न्यायाधीश के फैसले के अनुसार उपार्जित ब्याज के साथ पूरी पुरस्कार राशि जिला न्यायाधीश के समक्ष जमा कर दी थी, जिससे कोई अपील दायर नहीं की गई थी। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि एनएचएआई भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' होने के नाते, यह चुन और चुन नहीं सकता है कि वह कब कुछ जिला न्यायाधीशों के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करेगा, न कि दूसरों के खिलाफ। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, केवल इसी आधार पर इन सभी अपीलों को खारिज किया जाना चाहिए। गुण-दोष पर, उन्होंने अपने मामले के तथ्यों और इस तथ्य की ओर इशारा किया कि मुआवजे के रूप में बहुत कम राशि दी गई थी, जिसे तब जिला न्यायाधीश द्वारा आसपास के प्रासंगिक बिक्री विलेखों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था। इसके बाद उन्होंने गायत्री बालास्वामी में मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को खूब पढ़ा। और तर्क की इस रेखा का समर्थन किया। उन्होंने यह तर्क देने के लिए विवादित फैसले का भी समर्थन किया कि भले ही गायत्री में विद्वान एकल न्यायाधीश

बालास्वामी ने जहां तक मध्यस्थता अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों का संबंध है, कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं किया था, फिर भी विवादित निर्णय दिया था

सही ढंग से सहमति से मध्यस्थता और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ के बीच अंतर करता है, जो कोई और नहीं बल्कि कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जो केवल रबर स्टाम्प पुरस्कार देते हैं जो हैं:

एक और सरकारी कर्मचारी द्वारा पारित किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि यदि धारा 34 को विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाए गए तरीके से समझा जाता है, तो एक बहुत ही गंभीर गलती के लिए कोई उपाय नहीं होगा क्योंकि जिला न्यायाधीश तब धारा 34 के अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी कर सकते हैं, वह पुरस्कार को रद्द करना है, जिसके परिणामस्वरूप स्वयं उसी नौकरशाह या केंद्र द्वारा नियुक्त किसी अन्य नौकरशाह के समक्ष एक नया मध्यस्थता होता है।

सरकार। यह मामला होने के कारण, इन अपीलों को गुण-दोष के आधार पर भी खारिज किया जाना चाहिए।

ई परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय सं। 45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]6. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, पहले राष्ट्रीय मार्ग अधिनियम के तहत प्रासंगिक धाराओं को निर्धारित करना उचित नहीं है। जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा तर्क दिया गया है, 1997 में जोनल राजमार्ग अधिनियम में संशोधन किया गया था। वक्तव्य का पैरा 2

इस संशोधन के कारण और कारण नीचे दिए गए हैं: -

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राजमार्ग परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन में बाधाओं में से एक भूमि अधिग्रहण में अत्यधिक देरी रही है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, यह प्रस्ताव किया गया है कि एक बार जब केंद्र सरकार घोषणा कर दे कि राजमार्ग के विकास के लिए सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि की आवश्यकता है, तो वह भूमि सरकार में निहित और केवल राशि के रूप में

मुआवजे का भुगतान किया जाना है और मुआवजे से संबंधित कोई भी विवाद मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय के अधीन होगा।

7. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत "सक्षम प्राधिकारी"

धारा 3 (ए) में निम्नानुसार लिखा गया है:

आवश्यकता है, - (क) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है कोई व्यक्ति या प्राधिकृत प्राधिकारी।

केंद्र सरकार द्वारा, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए

जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

8. अधिनियम की धारा 3 ए में कहा गया है: - 3 ए. भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति, आदि।

(1) जहां केंद्र सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके हिस्से के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन या संचालन के लिए किसी भूमि की आवश्यकता है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अधिसूचना एक संक्षिप्त विवरण देगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी के सार का कारण होगा अधिसूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी, जिनमें से एक

यह एक स्थानीय भाषा में होगा।

9. धारा 3 सी के तहत आपत्तियों की सुनवाई के बाद, आवश्यक राशन धारा 3 डी के तहत किया जाता है जो निम्नानुसार है: -

3 डी. अधिग्रहण की घोषणा।

(1) जहां धारा 3 सी की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति नहीं की गई है।

उसमें या जहाँ सक्षम प्राधिकारी ने अनुमति नहीं दी है

उस धारा की उप-धारा (2) के तहत आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, केंद्र सरकार को तदनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी कि भूमि का अधिग्रहण इस उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।

धारा 3 ए की उप-धारा (1) में उल्लिखित।

(2) उप-धारा (1) के तहत घोषणा के प्रकाशन पर, भूमि पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित होगी।

सभी बाधाएं।

(3) जहां किसी भूमि के संबंध में उसके अधिग्रहण के लिए धारा 3 ए की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना प्रकाशित की गई है, लेकिन उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उप-धारा (1) के तहत कोई घोषणा प्रकाशित नहीं की गई है, वहां उक्त अधिसूचना का कोई प्रभाव नहीं रहेगा:

बशर्ते कि एक वर्ष की उक्त अवधि की गणना करने में, वह अवधि या अवधि जिसके दौरान कोई कार्रवाई या कार्यवाही की जानी है। धारा की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना का पालन

(4) उप के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा धारा (1) पर किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

10. धारा 3 जी, जिसके साथ हम सीधे तौर पर संबंधित हैं और मुआवजे के रूप में देय राशि के निर्धारण का कौन सा ई. एस. निम्न है। -

3 जी. मुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण।

(1) जहाँ इस अधिनियम के तहत कोई भूमि अधिग्रहित की जाती है, वहाँ एक राशि का भुगतान किया जाएगा जो सक्षम व्यक्ति के आदेश द्वारा निर्धारित की जाएगी।

प्राधिकरण।

ई परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय सं। 45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उस भूमि के लिए, उप-धारा (1) के तहत निर्धारित राशि का दस प्रतिशत। (3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत राशि निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, सक्षम प्राधिकारी एक सार्वजनिक राशि देगा।

दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगी, अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों से दावे आमंत्रित करेगी।

(4) ऐसी सूचना में भूमि का विवरण होगा और ऐसी भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से या किसी प्रतिनिधि द्वारा या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा उपस्थित होने की आवश्यकता होगी।

किसी समय और स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष और ऐसी भूमि में उनके संबंधित हित की प्रकृति बताने के लिए।

(5) यदि उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो किसी भी पक्ष के आवेदन पर राशि का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

(6) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधान इस अधिनियम के तहत प्रत्येक मध्यस्थता पर लागू होंगे। (7) सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) या उप-धारा (5) के तहत राशि का निर्धारण करते समय विचार करेगा।

(क) के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य

धारा 3 ए के तहत अधिसूचना; (ख) भूमि पर कब्जा करने के समय इच्छुक व्यक्ति को, यदि कोई नुकसान हुआ हो, तो उसके कारण

ऐसी भूमि को अन्य भूमि से अलग करना;

(ग) [2021] 5 एस. सी. आर. के कारण भूमि पर कब्जा करने के समय इच्छुक व्यक्ति द्वारा की गई क्षति, यदि कोई हो।

(घ) यदि भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, इच्छुक व्यक्ति को अपना निवास या स्थान बदलने के लिए मजबूर किया जाता है व्यवसाय, उचित व्यय, यदि कोई हो, इस तरह के परिवर्तन के लिए आकस्मिक।

11. धारा 3 जे में कहा गया है:

3 जे. 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1 लागू नहीं होगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में कुछ भी लागू नहीं होगा

इस अधिनियम के तहत अधिग्रहण।

12. यह देखा जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी, जैसा कि परिभाषित किया गया है, पहले एक राशि निर्धारित करेगा जो मुआवजे के रूप में देय है।

भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण। धारा 3 जी (5) के तहत, यदि उक्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि किसी भी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन करने पर राशि का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 'सक्षम प्राधिकारी' एक व्यक्ति या प्राधिकरण है जिसे केंद्र सरकार द्वारा मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए अधिसूचना द्वारा अधिकृत किया गया है। वर्तमान मामले में, एक विशेष जिला राजस्व अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित करने की अधिसूचना जारी की गई है। उपरोक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि को दोनों पक्षों में से किसी एक के आवेदन पर मध्यस्थ को भेजा जाना है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त मध्यस्थता एक सहमति प्रक्रिया नहीं है जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति में दोनों पक्षों का हाथ है। ए के रूप में वास्तव में, भूमि मालिक का मध्यस्थ की नियुक्ति में कोई अधिकार नहीं है, जिसे केवल अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारी, यानी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है।

13. मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 अध्याय VII में आती है।

"मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ सहायता" शीर्षक के तहत। हम धारा 34 की उप-धाराओं (1) और (4) से सीधे संबंधित हैं जो यहाँ नीचे दी गई हैं।

34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन। —

(1) मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अदालत का सहारा केवल उस अनुसार ऐसे पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन द्वारा लिया जा सकता है।

उप-धारा (2) और उप-धारा (3)।

परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग नं। 45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]

XXX

XXX XXX

मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने या ऐसी अन्य कार्रवाई करने का अवसर देने का आदेश जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण की राय में है, को दरकिनार करने के आधारों को समाप्त कर देगा। मध्यस्थ पुरस्कार।

XXX XXX XXX

14. ध्यान देने योग्य बात यह है कि धारा 34 के अपीलीय प्रावधान की प्रकृति में होने के बावजूद, इसमें केवल अलग रखने का प्रावधान है।

बहुत सीमित आधारों पर पुरस्कार, ऐसे आधार धारा 34 की उप-धाराओं (2) और (3) में निहित हैं। दूसरा, जैसा कि धारा 34 के सीमांत नोट से संकेत मिलता है, मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अदालत का "सहारा" केवल इस तरह के पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक आवेदन द्वारा किया जा सकता है। उप-धारा (2) और (3) के अनुसार। " पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन (तीसरा संस्करण) में "सहायता" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -

किसी अधिकार को लागू करने का प्रवर्तन या तरीका। जहाँ अधिकार को ही काट दिया जाता है, वहाँ इस तरह के अधिकार का प्रवर्तन भी प्रकृति में सीमित हो सकता है। उक्त प्रावधानों को पढ़ने से जो बात स्पष्ट होती है वह यह है कि,

उप-धारा (2) और (3) के तहत चुनौती के सीमित आधारों को देखते हुए, केवल एक पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। यह तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब हम उप-धारा (4) को देखते हैं, जिसके तहत, धारा 34 की उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायालय धारा 34 की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही को फिर से शुरू करने या ऐसी कार्रवाई करने का अवसर दे सकता है जिससे मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के आधार समाप्त हो जाएँ। यहाँ फिर से, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण की राय है जो पुरस्कार को रद्द करने के आधारों को समाप्त करने के लिए मायने रखती है, जिसे धारा 34 आवेदन की सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा इंगित किया जा सकता है।

15. यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 34 अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर UNCITRAL मॉडल कानून, 1985 पर आधारित है। जिसके तहत किसी पुरस्कार को चुनौती देने की सुनवाई करने वाली अदालत को किसी पुरस्कार को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं दी जाती है। आदर्श कानून का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

अनुच्छेद 34। अनन्य के रूप में अलग रखने के लिए आवेदन मध्यस्थता निर्णय [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अदालत का सहारा लिया जा सकता है।

केवल इसके अनुसार अलग रखने के लिए एक आवेदन द्वारा

इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) और (2)।

XXX XXX XXX

मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता फिर से शुरू करने का अवसर कार्यवाही करना या ऐसी अन्य कार्रवाई करना जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण में होती है।

राय अलग रखने के आधार को समाप्त कर देगी।

16. रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (छठा)

संस्करण) में कहा गया है कि मॉडल कानून में संशोधन की अनुमति नहीं है।

समीक्षा अदालत द्वारा वार्ड (पृष्ठ 570 पर) निम्नानुसार है:

" 10.06 राष्ट्रीय पुरस्कार से पहले किसी पुरस्कार को चुनौती देने का उद्देश्य

मध्यस्थता के स्थान पर स्थित न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह न्यायालय पुरस्कार के सभी या कुछ भाग को अमान्य घोषित करे। यदि किसी पुरस्कार को संबंधित न्यायालय द्वारा अलग कर दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है, तो इसे आमतौर पर अमान्य माना जाएगा, और तदनुसार अप्रवर्तनीय, न केवल मध्यस्थता पीठ के न्यायालयों द्वारा, बल्कि अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि, न्यूयॉर्क कन्वेंशन और मॉडल लॉ दोनों के तहत,

सक्षम न्यायालय मान्यता और प्रवर्तन देने से इनकार कर सकता है। किसी ऐसे अधिनिर्णय का, जिसे मध्यस्थता पीठ के न्यायालय द्वारा अलग कर दिया गया हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, निम्नलिखित पूर्ण

रद्द करने पर, दावेदार कार्यवाही फिर से शुरू कर सकता है क्योंकि पुरस्कार मौजूद नहीं है-यानी, पूर्व स्थिति बहाल हो जाती है। समीक्षा अदालत किसी पुरस्कार की शर्तों में बदलाव नहीं कर सकती है और न ही वह गुण-दोष के बारे में अपनी दृष्टि के आधार पर विवाद का फैसला कर सकती है। जब तक समीक्षा करने वाले न्यायालय के पास मूल न्यायाधिकरण को गलती को दूर करने की शक्ति नहीं है, तब तक रद्द होने के बाद मध्यस्थता के लिए विवाद का कोई भी नया प्रस्तुतिकरण मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू होने तक किया जाना चाहिए।

एक नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ नया मध्यस्थता।

17. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत वैधानिक योजना,

996 UNCITRAL मॉडल कानून और विधायी के अनुरूप है

मध्यस्थता पुरस्कारों में न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप की नीति।

18. इसके विपरीत, मध्यस्थता की धारा 15 और 16 के तहत

अधिनियम, 1940, न्यायालय को ई-प्रोजेक्ट निदेशक, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय सं. में एक पुरस्कार को संशोधित या सही करने की शक्ति दी गई है।

धारा 15 में उल्लिखित राशियां, प्रेषण की शक्ति के अलावाधारा 16 के तहत वार्ड निम्नानुसार है: -

15. पुरस्कार को संशोधित करने की न्यायालय की शक्ति।

या (बी) जहां पुरस्कार रूप में अपूर्ण है, या इसमें कोई स्पष्ट त्रुटि है जिसे ऐसे निर्णय को प्रभावित किए बिना संशोधित किया जा सकता है; या

(ग) जहाँ पुरस्कार में लिपिकीय गलती या उत्पन्न होने वाली त्रुटि हो।

आकस्मिक पर्ची या चूक से।

16. पुरस्कार भेजने की शक्ति।

(1) न्यायालय समय-समय पर निर्णय या मध्यस्थता के लिए भेजे गए किसी भी मामले को मध्यस्थों या अंपायर को भेज सकता है।

ऐसी शर्तों पर पुनर्विचार करना जो उसे उचित लगे

(क) जहाँ-निर्णय ने मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किसी भी मामले को अनिर्धारित छोड़ दिया है, या जहाँ यह किसी ऐसे मामले को निर्धारित करता है जिसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया गया है और ऐसे मामले को अलग नहीं किया जा सकता है।

((ख) जहां पुरस्कार इतना अनिश्चित है कि निष्पादन में असमर्थ है; या (ग) जहाँ पुरस्कार की वैधता पर आपत्ति स्पष्ट है।

उसके चेहरे पर।,

(2) जहां उप-धारा (1) के तहत कोई पुरस्कार प्रेषित किया जाता है, वहां न्यायालय वह समय निर्धारित करेगा जिसके भीतर मध्यस्थ या अंपायर अपना निर्णय न्यायालय को प्रस्तुत करेगा: बशर्ते कि इस प्रकार किसी भी समय निर्धारित किया जा सकता है

न्यायालय के बाद के आदेश द्वारा विस्तारित।

(3) उप-धारा (1) के तहत प्रेषित पुरस्कार मध्यस्थ या अंपायर द्वारा इस पर पुनर्विचार करने और प्रस्तुत करने में विफलता पर अमान्य हो जाएगा।

निर्धारित समय के भीतर उसका निर्णय।

19. नतीजतन, पुरस्कार के संदर्भ में एक निर्णय है

1940 के अधिनियम की धारा 17 के तहत जो निम्नानुसार है:

- सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[20

21] 5 एस सी आर।

17. पुरस्कार के संदर्भ में निर्णय।

जहाँ न्यायालय पुरस्कार या इनमें से किसी को भी प्रेषित करने का कोई कारण नहीं देखता है। पुनर्विलोकन या अलग रखने के लिए
मध्यस्थता के लिए संदर्भित मामले

पुरस्कार के बाद, न्यायालय आवेदन करने के समय के बाद

पुरस्कार को अलग करने की अवधि समाप्त हो गई है, या ऐसा आवेदन है किया गया, इसे अस्वीकार करने के बाद, निर्णय देने के लिए आगे बढ़ें

पुरस्कार के अनुसार, और इस प्रकार घोषित निर्णय पर ए

डिक्री का पालन किया जाएगा और इस तरह के डिक्री से कोई अपील नहीं होगी सिवाय इसके कि

इस आधार पर कि यह अधिक है, या अन्यथा अनुसार नहीं है

पुरस्कार के साथ।

20. इस प्रकार, पुराने अधिनियम की योजना के तहत, एक पुरस्कार हो सकता है

1940 के अधिनियम की धारा 30 में निहित आधारों को देखते हुए प्रेषित, संशोधित या अन्यथा अलग रखा गया है, जो 1996 के अधिनियम की धारा 34 में निहित आधारों से अधिक व्यापक हैं।

21. यह तय कानून है कि धारा 34 की कार्यवाही में शामिल नहीं है

पुरस्कार के गुण-दोष पर कोई भी चुनौती। यह तय किया गया है कि एमएमटीसी लिमिटेड बनाम। वेदांता लिमिटेड, (2019) 4 एस. सी. सी. 163,167 पर इस प्रकार हैः

-

14. जहाँ तक धारा 34 के तहत किए गए आदेश में हस्तक्षेप की बात है,

धारा 37 के अनुसार, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि धारा 37 के तहत हस्तक्षेप प्रतिबंधों से परे नहीं जा सकता है।

धारा 34 के तहत निर्धारित। दूसरे शब्दों में, अदालत नहीं कर सकती है

पुरस्कार के गुणों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन करना,

और केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग

धारा 34 के तहत प्रावधान के दायरे को पार नहीं किया गया है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि मध्यस्थता पुरस्कार की पुष्टि की गई है

अदालत द्वारा धारा 34 के तहत और अदालत द्वारा एक अपील में

धारा 37, इस न्यायालय को बेहद सतर्क और सुस्त होना चाहिए

इस तरह के समवर्ती निष्कर्षों को बाधित करें।

22. इसी तरह, सांगयोंग एंग में। & कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम

एन. एच. ए. आई., (2019) 15 एस. सी. सी. 131, यह न्यायालय "धारा 34 (2) (ए) योग्यता के आधार पर मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती नहीं देती है" शीर्षक के तहत रेनुसागर पावर कंपनी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले को संदर्भित करता है।

कि उल्लिखित आधारों के तहत योग्यता पर कोई चुनौती नहीं हो सकती है धारा 34 में-(पैरा 34 से 48 देखें)।

राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम दातार स्विचगियर लिमिटेड,2018) 3 एस. सी. सी. 133 (170 पर), कि अदालत धारा 34 याचिका की सुनवाई कर रही है।

बी. एस. अपील में नहीं बैठता (पैरा 51 देखें)।

23. वास्तव में, अपीलों में उठाया गया मुद्दा मैकडर्मॉट इंटरनेशनल इंक. बनाम में शामिल है। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी।

टी. डी. , (2006) 11 एस. सी. सी. 181, जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: -

51. 1996 का अधिनियम लागू होने के बाद, अधिनियम की धारा 16 के तहत मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाने वाले पक्ष का दायित्व है कि वह मध्यस्थ के समक्ष उक्त प्रश्न उठाए। अधिकारिता का ऐसा सवाल उठाया जा सकता है यदि यह उसके अधिकार के दायरे से बाहर है। इसे मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान या इसकी शुरुआत के तुरंत बाद उठाया जाना आवश्यक था। क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न को प्रारंभिक आधार के रूप में निर्धारित किया जाना आवश्यक है। उस पर मध्यस्थ द्वारा लिया गया निर्णय अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती का विषय होगा। यदि मध्यस्थ ने राय दी कि उसके संबंध में उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो अधिनियम की धारा 37 के तहत इसके खिलाफ अपील का प्रावधान किया गया था। 52. 1996 का अधिनियम पर्यवेक्षी भूमिका के लिए प्रावधान करता है -

न्यायालय, केवल निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता पुरस्कार की समीक्षा के लिए। न्यायालय के हस्तक्षेप की परिकल्पना केवल कुछ परिस्थितियों में की जाती है, जैसे कि मध्यस्थों द्वारा धोखाधड़ी या पक्षपात के मामले में, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन आदि। न्यायालय मध्यस्थों की त्रुटियों को ठीक नहीं कर सकता है। यह केवल पक्षकारों को इच्छा होने पर फिर से मध्यस्थता शुरू करने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हुए निर्णय को रद्द कर सकता है। इसलिए, प्रावधान की योजना का उद्देश्य अदालत की पर्यवेक्षी भूमिका को न्यूनतम स्तर पर रखना है और इसे उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि समझौते के पक्षकार अदालत के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के लिए एक सचेत निर्णय लेते हैं।

मध्यस्थता के रूप में वे द्वारा प्रस्तावित समीचीनता और अंतिमता को पसंद करते हैं

यह।

24. कानून के इस कथन का पालन किन्नरी मलिक बनाम में किया गया था। हंस्याम दास दमानी, (2018) 11 पृष्ठ 334 पर एस. सी. सी. 328 (पैरा 5 देखें)।

25. इसके अलावा, डायना टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड बनाम। क्रॉम्पटन ग्रीव्स

टी. डी. , (2019) 20 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने निर्णय दिया: -

36. इस मोड़ पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थता अधिनियम में धारा 34 (4) प्रदान करने का विधायी इरादा [2021] 5 एस. सी. आर. बनाना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधिकरण को उपचार योग्य दोषों को पूर्ववत करने का अवसर देने के बाद, लागू करने योग्य पुरस्कार। इस प्रावधान को दरकिनार नहीं किया जा सकता और उच्च न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था

गुण-दोष का मुद्दा।

37. तर्क के अभाव में इस तरह के दोषों को ठीक करने के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत उपयोगिता प्रदान की गई है। जब तर्क में पूरी तरह से विकृति होती है, तभी यह

धारा 34 के प्रावधानों के तहत चुनौती दी जा सकती है

मध्यस्थता अधिनियम। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत दोषों को ठीक करने के लिए निहित शक्ति का उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहां मध्यस्थता पुरस्कार कोई तर्क प्रदान नहीं करता है या यदि निर्णय में तर्क या अन्यथा कुछ अंतर है और जिसे ठीक किया जा सकता है ताकि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत उपरोक्त उपचार योग्य दोषों के आधार पर एक चुनौती से बचा जा सके। हालाँकि, इस मामले में न्यायाधिकरण को इस तरह की रिमांड फायदेमंद नहीं होगी क्योंकि इस मामले में निर्णय लेने में 25 साल से अधिक का समय लगा है। यह इस स्थिति में है कि हम विलाप करते हैं कि मध्यस्थता का उद्देश्य

प्रभावी और त्वरित मंच स्वयं ही समाप्त हो गया है।

26. उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णय भी निर्देशात्मक हैं। साइबरनेटिक्स नेटवर्क में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश

लिमिटेड वी. बिस्केयर टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड, 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन

155 , आयोजितः

47. अगला सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या पैरा 44 में उल्लिखित उपरोक्त दावे जिन्हें विद्वान मध्यस्थ द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है, उन्हें इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत शक्तियाँ? 48. अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत, न्यायालय एक मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देते समय या तो "मध्यस्थता न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही फिर से शुरू करने का अवसर देने के लिए अपने द्वारा निर्धारित समय के लिए कार्यवाही को स्थगित कर सकता है या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकता है जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण की राय में मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के आधार को समाप्त कर देगा"। यह अनिवार्य रूप से परिकल्पना करता है कि न्यायालय को मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजना होगा। यह न्यायालय द्वारा उचित पाए जाने के अधीन है।

ऐसा करने के लिए और एक पक्ष ऐसा करने का अनुरोध करता है। 49. भारत संघ में v. आर्कटिक इंडिया 2007 (4) बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश अरब एल. आर. 524 (बॉम) ने कहा कि ई. प्रोजेक्ट निदेशक, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय नं.

45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्यायालय पुरस्कार में संशोधन कर सकता है, भले ही कोई स्पष्ट प्रावधान न हो।

इसकी अनुमति देने वाले अधिनियम में। न्यायालय ने कृष्ण भाग्य भाग्य जल निगम में उच्चतम न्यायालय के फैसले का पालन किया लिमिटेड वी. हरिश्चंद्र रेड्डी (2007) 2 एससीसी 720। संघ में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसी तरह का विचार लिया गया है।

भारत का वी। आधुनिक लैमिनेटर 2008 (3) अरब एलआर 489 (डेल)। वहाँ सवाल यह था कि क्या मध्यस्थ उस मामले में प्रत्यर्थी के जवाबी दावे का फैसला करने में विफल रहा है, न्यायालय स्वयं जवाबी दावे का फैसला कर सकता है। मामला कानून पर चर्चा करने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वह पुरस्कार को संशोधित कर सकता है लेकिन केवल एक सीमित सीमा तक। यह आयोजित किया गया (अरब एलआर पी। 496):

" पुरस्कार में इस तरह का संशोधन 'अलग रखने' की एक प्रजाति होगी। केवल और 'एक सीमित सीमा तक अलग रखना' होगा। हालांकि,

अगर अदालतों को पता चलता है कि वे सीमा के भीतर नहीं हो सकते हैं अनुमत या सामग्री पर हस्तक्षेप से पहले

मध्यस्थ संशोधित करने में असमर्थ हैं और यदि इसमें शामिल होंगे कानून के जटिल प्रश्नों का तथ्य खोज या न्यायनिर्णयन

दलों को उनकी पसंद के मंच पर छोड़ दिया जाना चाहिए अर्थात

अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत आगे मध्यस्थता के लिए निर्वासित किया जाए।

या अन्य नागरिक उपचार "।

50. हालांकि, उपरोक्त निर्णयों में से कोई भी स्पष्ट रूप से यह नहीं मानता है कि जहां कुछ दावों को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है

मध्यस्थ, न्यायालय अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वयं उन दावों पर निर्णय ले सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रबंध निदेशक बनाम. आशा तलवार 2009 (5) ए. एल. जे. 397 , अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 34 के तहत एक पुरस्कार को अलग करने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के पास मूल राहत देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसके लिए पहले अनुरोध किया गया था

मध्यस्थ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मैकडरमोट इंटरनेशनल इंक. बनाम में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (2006) 11 एस. सी. सी. 181, जहाँ यह देखा गया था (एस. सी. सी. @पी. 208) :

XXX

XXX

XXX

51. प्रबंधन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

निदेशक वी. आशा तलवार अधिनियम की योजना के अनुरूप प्रतीत होती हैं, और विशेष रूप से इसकी धारा 34 जो 1940 के अधिनियम की धारा 16 की योजना से अलग है जो शायद [2021] 5 एस. सी. आर.

न्यायालय को शक्तियों का एक व्यापक विस्तार दिया। अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत, न्यायालय को उसमें निर्दिष्ट आधारों पर मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने का अधिकार है। धारा 34 (4) के तहत मध्यस्थ को रिमांड एक सीमित सीमा तक है जिसमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण को "मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के आधार को समाप्त करने" की आवश्यकता होती है। न्यायालय को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मूल रूप से किए गए दावों की अनुमति देने के लिए कोई विशिष्ट शक्ति नहीं दी गई है, जहां वह मध्यस्थ न्यायाधिकरण को ऐसे दावों को अस्वीकार करने में त्रुटि पाता है। यदि ऐसी शक्ति को धारा 34 (4) के दायरे में आने के रूप में मान्यता दी जाती है

अधिनियम के अनुसार, तब न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय से अलग कार्य नहीं करेगा जो अधिनियम की धारा 34 के पीछे विधायी इरादे के विपरीत होगा। तदनुसार, यह न्यायालय सी. एन. पी. एल. के उन दावों पर निर्णय लेने से इनकार करता है जिन्हें गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है।

विद्वान मध्यस्थ द्वारा।

27. नुस्ली स्विट्जरलैंड लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय।

समिति राष्ट्रमंडल खेल, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन

1834 , आयोजितः -

34. आयोजन समिति जैसी पार्टी जिसके अपने दावे हैं अस्वीकृत, एक भाग को छोड़कर, लेकिन जो बड़ी राशि में शामिल हो जाता है

विपरीत पक्ष के पक्ष में दिया गया, भले ही पुरस्कार पर आपत्तियों में सफल हो जाए, पुरस्कार को इस कारण से अलग रखा जाएगा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत न्यायालय की शक्ति से अलग है, जो न्यायालय को एक पुरस्कार को संशोधित करने का अधिकार नहीं देता है। यदि कोई दावा जिसे मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है, दोषपूर्ण पाया जाता है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आपत्तियों को जब्त करने वाले न्यायालय को निर्णय को रद्द करना होगा और मामले को उसी पर छोड़ना होगा। संबंधित पक्ष के लिए नई कार्यवाही (मध्यस्थता सहित) शुरू करना खुला रहेगा और इस दृष्टिकोण के लिए कोई भी सुविधा के उद्देश्यों के लिए उप-धारा का उल्लेख कर सकता है।

(4) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 43। इसमें लिखा है: -

" 43. सीमाएँ

(2) XXXXXX

(3) XXXX XXX ई परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या। 45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(4) जहाँ न्यायालय आदेश देता है कि एक मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखा जाए, वहाँ मध्यस्थता के प्रारंभ और न्यायालय के आदेश की तारीख के बीच की अवधि को गणना में बाहर रखा जाएगा। इस प्रकार प्रस्तुत विवाद के संबंध में कार्यवाही (मध्यस्थता सहित) शुरू करने के लिए सीमा अधिनियम, 1963 द्वारा निर्धारित समय।

28. पुरी में दिल्ली उच्च न्यायालय का एक निर्देशात्मक निर्णय

ट्रक्शन पी. लिमिटेड बनाम लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, 2015 एससीसी ऑनलाइन

126 मद्रास और कलकत्ता उच्च के अधिकारियों के साथ काम करता है एक ओर उच्च न्यायालय और दूसरी ओर उच्च न्यायालय इस पर विचार कर रहे हैं।

वे इस प्रकार हैं: -

115. इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय मानता है कि न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राहतों को कायम नहीं रखा जा सकता है और इन्हें इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न यह है कि क्या यह न्यायालय, अधिनियम की धारा 34 के साथ पठित धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, पुरस्कार को संशोधित, परिवर्तित या प्रेषित कर सकता है। शुरुआत में, यह देखा गया है कि इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार हैं। यहाँ, न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के कुछ भिन्न दृष्टिकोण को नोटिस करता है। मामला कानून है

निर्णय के निम्नलिखित भाग में चर्चा की गई

संशोधन, परिवर्तन या प्रेषण की शक्ति के पक्ष में अधिकारी

पुरस्कार

116. भसीन में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश

एसोसिएट्स वी। एन. बी. सी. सी., (2005) आई. एल. आर. 2 दिल्ली 88 ने अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने पर एक पुरस्कार को रद्द करने की शक्ति एक शून्य छोड़ देगी यदि उक्त शक्ति को मामले को मध्यस्थ को वापस भेजने की शक्ति को शामिल करने के लिए नहीं समझा गया था"। यह दृश्य था

बाद में संघ में एकल पीठ के निर्णयों में अपनाया गया

भारत बनाम. मॉडर्न लैमिनेटर लिमिटेड, 2008 (3) ए. आर. बी. एल. आर. 489 (दिल्ली) (पुरस्कार के संशोधन के संदर्भ में), इफको टोक्यो जनरल

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम इंडो रामा सिंथेटिक्स लिमिटेड (पर निर्णय लिया गया) 20.01.2015) और केनरा बैंक बनाम। भारत संचार निगम

लिमिटेड (26.03.2015 पर तय किया गया)। मॉडर्न लैमिनेटर में, न्यायालय ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बनाम में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। डेलिम इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, (2007) 8 एस. सी. सी. 466, नोट करना

कि न्यायालय ने अपने संदर्भ में पुरस्कार को संशोधित किया था

निष्कर्ष; और कृष्ण भाग्य जल निगम लिमिटेड में निर्णय। जी. हरिश्चंद्र रेड्डी, ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 817, जहाँ ब्याज दर [2021] 5 एस. सी. आर. है।

मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को संशोधित किया गया था। केनरा बैंक में विद्वान एकल न्यायाधीश ने गायत्री बालास्वामी बनाम मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा किया। आई. एस. जी. नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2015) 1 एम. एल. जे. 5. गायत्री बालास्वामी के मामले में न्यायालय ने इस मुद्दे की महत्वपूर्ण [एस. आई. सी.] जांच की और निम्नानुसार निर्णय दिया:

" इसलिए, मेरे सुविचारित विचार में, 'उपाय' अभिव्यक्ति

धारा 34 (1) में प्रकट होने वाले मध्यस्थता पुरस्कार के विरुद्ध न्यायालय को

इसका अर्थ केवल व्यवस्था की मांग करने का अधिकार नहीं माना जा सकता है। एक पुरस्कार के अलावा। एक मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ सहारा ले सकता है

या तो अलग रखने के लिए या संशोधन करने के लिए या बढ़ाने के लिए या

किसी पुरस्कार को बदलने या संशोधित करने के लिए। अभिव्यक्ति 'अनुप्रयोग' धारा 34 (2) में दिखाई देने वाले ऐसे पुरस्कार को अलग करने के लिए

और (3) केवल उस प्रपत्र को निर्धारित करता है, जिसमें एक व्यक्ति कर सकता है एक मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ सहारा लें। जिस रूप में

एक आवेदन किया जाना है, पर्याप्त कटौती नहीं कर सकते हैं कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार। दूसरे शब्दों में, होने का अधिकार

न्यायालय का सहारा लेना एक महत्वपूर्ण अधिकार है और यह अधिकार नहीं है

कटौती के लिए उत्तरदायी, उस रूप से जिसमें अधिकार होना चाहिए

लागू या प्रयोग किया गया। इसलिए, मेरे विचार में,

धारा 34 (1) के तहत शक्ति, इसके दायरे में, शक्ति शामिल है संशोधित करना, बदलना या संशोधित करना।

यही विचार पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसलों द्वारा एक्सियोस नेविगेशन कंपनी लिमिटेड बनाम में अपनाया गया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2012 (114) बी. ओ. एम. एल. आर. 392

और एंगरलेनर स्ट्रक्चरल्स एंड सिविल इंजीनियरिंग कं. वी. ग्रेटर मुंबई नगर निगम, 2013 (7) बम सी. आर. 83 और पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग विकास में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ

निगम लिमिटेड बनाम। स्नेहाशीष भौमिक (ए. पी. ओ. सं. 240 में)

2012) .

अधिकार रखने वाले अधिकारियों को पुरस्कार को संशोधित करने, बदलने या भेजने की कोई शक्ति नहीं है

XXX

XXX

XXX

118. यह न्यायालय केंद्रीय भंडारण निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, भारती सेल्युलर लिमिटेड, साइबरनेटिक्स ई परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय संख्या में निर्णयों का पालन करने के लिए इच्छुक है।

45 ई.

और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.] नेटवर्क प्रा. लिमिटेड और आशा तलवार। इस पर मार्गदर्शक सिद्धांत

इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने मैकडर्मोट में रखा था

इंटरनेशनल इंक. (ऊपर), जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" 1996 का अधिनियम न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका के लिए प्रावधान करता है, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि मध्यस्थता पुरस्कार की समीक्षा की जाए।

निष्पक्षता। अदालत के हस्तक्षेप की परिकल्पना कुछ ही में की गई है। केवल परिस्थितियों में, जैसे मध्यस्थों द्वारा धोखाधड़ी या पक्षपात, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन, आदि। न्यायालय मध्यस्थों की त्रुटियों को ठीक नहीं कर सकता है। यह केवल पक्षकारों को फिर से मध्यस्थता शुरू करने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हुए निर्णय को रद्द कर सकता है यदि

वांछित। इसलिए, प्रावधान की योजना का उद्देश्य अदालत की पर्यवेक्षी भूमिका को न्यूनतम स्तर पर रखना है और इसे उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि समझौते के पक्ष एक सचेत निर्णय लेते हैं।

मध्यस्थता का विकल्प चुनकर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करना क्योंकि वे इसके द्वारा प्रस्तावित समीचीनता और अंतिमता को पसंद करते हैं।

हालाँकि मद्रास उच्च न्यायालय ने गायत्री बालास्वामी (ऊपर) में उचित रूप से नोट किया कि मैकडर्मोट में ये टिप्पणियां इंटरनेशनल इंक. विशिष्ट मुद्दे के संदर्भ में नहीं था।

एतऽ निपटायल जा रहल अछि, एहि न्यायालयक विचार अछि जे ई अछि -

अधिनियम की धारा 34 के तहत एक जांच में न्यायालय के दृष्टिकोण का निर्धारक। वास्तव में, एक न्यायालय, निर्णय को संशोधित या परिवर्तित करते समय "मध्यस्थों की त्रुटियों को सुधारने" के अलावा और कुछ नहीं करेगा। यह स्पष्ट रूप से मैकडर्मॉट इंटरनेशनल इंक के आदेश के खिलाफ है। इसके अलावा, यदि मामले को मध्यस्थ को भेजने की शक्ति को धारा 34 में पढ़ा जाता है, तो यह संसद द्वारा जानबूझकर किए गए किसी प्रावधान को हटाने को समझ से परे कर देगा।

वर्तमान अधिनियम में मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 16। 1940 के अधिनियम की धारा 16 विशेष रूप से सशस्त्र न्यायालयों को

मामले को मध्यस्थता के लिए भेजें। उल्लेखनीय है कि वर्तमान अधिनियम के तहत छूट का दायरा धारा 34 की उप-धारा (4) में निर्धारित सीमा तक ही सीमित है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड में इस न्यायालय की खंड पीठ के फैसलों के अलावा, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने भी इस पर ध्यान दिया।

आर. एस. जिवानी बनाम में न्यायालय इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, 2010 (1) बॉम सी. आर. 529, जहाँ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

" एक पुरस्कार केवल धारा 34 के प्रावधानों के तहत अलग किया जा सकता है क्योंकि धारा 33 के अलावा कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण को निर्णय को सही करने या व्याख्या करने या [2021] 5 एस. सी. आर. पारित करने की अनुमति देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अतिरिक्त पुरस्कार, वह भी, खंड में बताए गए सीमित आधारों पर

33 ..... यह भी सच है कि इस तरह के कोई परिमाणीय प्रावधान नहीं हैं

1996 के अधिनियम में 1940 के अधिनियम की धारा 15 और 16 लेकिन अभी भी

धारा 34 के प्रावधानों को एक साथ पढ़ें, पर्याप्त रूप से इंगित करते हैं

न्यायालय में एक पुरस्कार को अलग रखने के लिए विशाल शक्तियों का निहित होना और

यहां तक कि मध्यस्थ द्वारा किसी मामले और ऐसे कार्यों और कार्यों को स्थगित करने के लिए भी

पक्षकार के कहने पर न्यायाधिकरण जो इसमें सहायता करेगा मध्यस्थ को अलग रखने के लिए हमले के आधार को हटाना

पुरस्कार "।

दूसरी ओर, स्नेहाशीष मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय

इंक. ऊपर उद्धृत। इसके अलावा, नुमालीगढ़ में निर्णय रिफाइनरी और हरिश्चंद्र रेड्डी (ऊपर) ने इस पर चर्चा नहीं की

धारा के तहत पुरस्कार को संशोधित करने, बदलने या प्रेषित करने की अदालत की शक्ति

34 अधिनियम से। इसलिए, मैकडर्मोट के कथन के आलोक में इंटरनेशनल इंक. और 1940 के अधिनियम के प्रावधानों में अंतर

धारा 34 के तहत पुरस्कार को परिवर्तित या प्रेषित करना मौजूद नहीं है। एक्ट करें।

29. इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए

इस न्यायालय, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 को इसके भीतर किसी पुरस्कार को संशोधित करने की शक्ति को शामिल करने के लिए नहीं माना जा सकता है। उत्तरदाताओं के तर्क का आधार गायत्री बालास्वामी (ऊपर) में विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय है। यह मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के कारण एक कर्मचारी द्वारा हर्जाने के दावे से उत्पन्न हुआ। विद्वान एकल न्यायाधीश ने संशोधित करने की शक्ति का उल्लेख किया या

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 15 के तहत एक पुरस्कार को सही करें।

पैरा

29 निर्णय से। इसके बाद, इस न्यायालय के कई निर्णयों को संदर्भित किया गया जिसमें इस न्यायालय द्वारा पुरस्कारों को संशोधित किया गया था।

यह प्रश्न कि क्या न्यायालय के पास धारा 34 के तहत किसी निर्णय को संशोधित करने या बदलने की शक्ति थी, इस निर्णय को तय नहीं कहा जा सकता है। अंत में उठाए गए सवाल का जवाब।

परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग नं। 45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]

30. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संदर्भित इस न्यायालय का पहला निर्णय गौतम कंस्ट्रक्शंस एंड फिशरीज में दिया गया है।

लिमिटेड वी. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, (2000) 6 एस. सी. सी. 519। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से बताया कि यह निर्णय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत था। पैरा 31 में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब कहा कि मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 15 के प्रावधानों के बाहर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय में संशोधन किए गए थे और इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय की शक्ति को स्वीकार कर लिया। पैरा 31 में की गई टिप्पणी उचित नहीं प्रतीत होती है। जाहिर है, उपयोग की गई शक्ति पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की शक्ति थी, जो संविधान से संबंधित एक शक्ति है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अंतिम उपाय के रूप में केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है।

31. पैरा 32 में निर्दिष्ट अगला निर्णय टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम में निर्णय है। भारत संघ, (2003) 4 एस. सी. सी. 172। पैरा 21 में, इस न्यायालय ने समान दर पर लेकिन पुरस्कार में बताई गई अवधि से अलग अवधि के संदर्भ में ब्याज प्रदान करते हुए पुरस्कार को संशोधित किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुरस्कार वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "संशोधित" किया गया था-फिर से भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के लिए संदर्भित।

32. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम। मित्रों कोयला

कार्बनीकरण, (2006) 4 एस. सी. सी. 445, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया कि क्या न्यायालय के पास धारा 34 के तहत पुरस्कार को संशोधित करने की शक्ति है। यह कहते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय पर अनुमोदन की मुहर लगा दी है, पुरस्कार को संशोधित करना पूरी तरह से सही नहीं होगा। पैरा 12 में अपील में केवल एक आधार पर बहस की गई थी, जिसे इस न्यायालय के पक्ष में पाया गया। किसी भी मामले में, कानून पर किसी भी चर्चा के बिना तथ्यों पर बरकरार रखे गए पुरस्कार का संशोधन मामले को बहुत आगे नहीं ले जाता है।

33. कृष्ण भाग्य जल निगम लिमिटेड बनाम। जी हरिश्चंद्र

रेड्डी, (2007) 2 एस. सी. सी. 720, पैरा 36 में निर्दिष्ट इस न्यायालय का एक निर्णय, इस न्यायालय ने मध्यस्थता से पहले की अवधि, विचाराधीन अवधि और भविष्य के ब्याज की दर को कम कर दिया। इसने एक सुझाव का भी उल्लेख किया कि दी गई राशि में से एक निश्चित राशि को एक लाख रुपये से घटाया जाए। 1. 47

करोड़ से एक करोड़ रुपये, जिसे प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उसमें उचित रूप से स्वीकार किया। जाहिर है, ये आदेश अनुच्छेद [2021] 5 एस. सी. आर. के तहत भी दिए गए थे।

142 भारत के संविधान का और इस मामले को बहुत अधिक नहीं ले जाता है

आगे। इन निर्णयों से, पैरा 39 में यह निष्कर्ष निकालना कि न्यायिक प्रवृत्ति एक ऐसी व्याख्या के पक्ष में प्रतीत होती है जो धारा 34 में किसी पुरस्कार को संशोधित, संशोधित या परिवर्तित करने की शक्ति को पढ़ती है, पूरी तरह से गलत है। द.

मैकडरमोट के निर्णय में पाया गया अवलोकन स्पष्ट रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश को बाध्य करता है और इसके विपरीत कोई भी निर्णय गलत होगा।

34. इस मोड़ पर, यह इंगित करना महत्वपूर्ण है कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्व खंड पीठ ने केंद्रीय में रिपोर्ट की थी

भंडारण निगम। वी. ए. एस. ए. ट्रांसपोर्ट, 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन पागलपन

972 मैकडरमोट (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर विशेष रूप से विचार किया था और अभिनिर्धारित किया थाः -

18. यद्यपि हम विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क से सहमत होने की स्थिति में नहीं हैं, हम पुरस्कार को रद्द करने में विद्वान एकल न्यायाधीश के अंतिम आदेश से पूरी तरह सहमत हैं। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को चेन्नई में एक मध्यस्थ नियुक्त करने और मध्यस्थता करने का निर्देश देने वाले आगे के निर्देश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसे न्यायालय के आदेश के रूप में नहीं दिया जा सकता है। मैकडरमॉट के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उपयोगी संदर्भ दिया जा सकता है।

इंटरनेशनल इंक. वी. बर्न स्टैंडर्ड को। लिमिटेड, (2006) 11 एस. सी. सी. 181, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1996 का अधिनियम मध्यस्थता निर्णय की समीक्षा के लिए न्यायालयों की पर्यवेक्षी भूमिका के लिए प्रावधान करता है। केवल निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए। न्यायालय के हस्तक्षेप की परिकल्पना केवल कुछ परिस्थितियों में की जाती है, जैसे कि मध्यस्थों द्वारा धोखाधड़ी या पक्षपात के मामले में, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन आदि। यह केवल पक्षकारों को इच्छा होने पर फिर से मध्यस्थता शुरू करने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हुए निर्णय को रद्द कर सकता है। इसलिए, अधिनियम की धारा 34 के तहत लिए गए आवेदन में, न्यायालय पक्षकारों को इच्छा होने पर फिर से मध्यस्थता शुरू करने के लिए स्वतंत्र छोड़ कर पुरस्कार को रद्द कर सकता है। 19. इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पुरस्कार को रद्द करने के आदेश की पुष्टि हमारे द्वारा दिए गए कारणों से की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ

विद्वान एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों को दरकिनार कर दिया जाता है। इस मुद्दे को पक्षों के लिए आगे बढ़ने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है। द.

संबंधित विविध याचिका बंद कर दी गई है।

35. यह निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उद्धृत नहीं किया गया था, क्योंकि यह एक बाध्यकारी खंड पीठ का निर्णय था, जिसने विशेष रूप से निर्णय दिया था,

मैकडर्मॉट के मामले (ऊपर) के बाद, कि संशोधन की शक्ति ई परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय संख्या है।

45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत उपलब्ध। अन्यथा भी।

इससे पहले, विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय प्रति प्रस्तुत किया गया था

-हम हैं।

36. हालांकि, मद्रास उच्च न्यायालय की एक बाद की खंड पीठ

आई. एस. जी. नोवासॉफ्ट में 8 अगस्त, 2019 का निर्णय रिपोर्ट किया गया

नॉलॉजीज लिमिटेड वी. गायत्री बालासामी, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 9 ने उसी अदालत के डिवीजन बेंच के फैसले को स्वीकार किए बिना विद्वान एकल न्यायाधीश से सहमति व्यक्त की, जो इस प्रकार है:

41. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधायक अधिनियम की धारा 34 में कहीं भी "संशोधन" शब्द का उपयोग करने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन जो विचार किया गया था वह केवल अधिनियम द्वारा पारित पुरस्कार को "अलग करने" के लिए था।

मध्यस्थ यदि वह अधिनियम की धारा 34 के दायरे में आता है। यह सामान्य है कि एक मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा चुना गया न्यायाधीश होने के नाते, उसका निर्णय आम तौर पर अंतिम होगा जब तक कि अधिनियम की धारा 34 में निहित एक या अन्य शर्तों को उसके पुरस्कार को रद्द करने के उद्देश्य से पूरा नहीं किया जाता है। इस पक्ष में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र यह देखना है कि मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया है या नहीं और इसलिए, मध्यस्थता पुरस्कार की न्यायिक समीक्षा का दायरा एक है -

संकीर्ण।

42. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या न्यायालय, अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को संशोधित करने या बदलने का हकदार है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कई निर्णयों पर भरोसा किया। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के पैरा संख्या 30 में, गौतम कंस्ट्रक्शंस एंड फिशरीज लिमिटेड बनाम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने (2000) 6 एस. सी. सी. 519 में सूचना दी। उस मामले में, इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रुपये के अधिनिर्णय के दावे को बरकरार रखा। 400 / - प्रति वर्ग फुट जिसे इस खंड पीठ द्वारा संशोधित किया गया था

अदालत ने इसे घटाकर रु. कर दिया। 150 / - . जब मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा, तो दर को संशोधित कर रुपये कर दिया गया। 250 / - प्रति वर्ग फुट। इस निर्णय पर भरोसा रखते हुए,

विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय के पास मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को संशोधित करने या बदलने की शक्ति है। इसी तरह, टाटा हैदरो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के

लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के पैरा संख्या 32 में संदर्भ दिया गया था। लिमिटेड वी. भारत संघ, (2003) 4 एस. सी. सी. 172 जिसमें भी [2021] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, के फैसले को उलटते हुए उच्च न्यायालय, जहां तक वह ब्याज के भुगतान से संबंधित है, मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करता है। उसी के लिए

प्रस्ताव है कि न्यायालय को संशोधित करने या बदलने का अधिकार है

मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनाम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया था। मित्रों, कोयला कार्बनीकरण, (2006) 4 एस. सी. सी. 445

मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार। हम विद्वान एकल न्यायाधीश के इस तर्क से भी पूरी तरह सहमत हैं कि केवल इसलिए कि अधिनियम की धारा 34 में "संशोधित" या "भिन्न" शब्द का संकेत नहीं है, यह अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पुरस्कार में हस्तक्षेप करने से नहीं हटाएगा। एक मध्यस्थ द्वारा आंशिक रूप से पारित। यदि ऐसी शक्ति निहित नहीं है

न्यायालय के साथ, यह केवल कार्यवाही की बहुलता की ओर ले जाएगा, जो अधिनियम की धारा 34 को तैयार करते समय विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं है। धारा 34 की एक उचित व्याख्या केवल एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष की ओर ले जाएगी कि न्यायालय धारा में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।

या मध्यस्थ द्वारा पारित ऐसे निर्णय का संशोधन ठीक है। अधिनियम की धारा 34 के तहत निहित प्रावधानों के भीतर। वर्तमान मामले में, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से देखा गया है,

के निर्देश के अनुसार एक समिति का गैर-गठन

प्रचलित सार्वजनिक नीति का वैधानिक उल्लंघन और उल्लंघन भारत में और इसलिए, अपीलार्थी न्यायसंगत और उचित मुआवजे का हकदार है।

37. यह निर्णय उन्हीं दुर्बलताओं से ग्रस्त है जो विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करता है।

38. कर्नल बालासुब्रमण्यम ने तीन अन्य फैसलों का भी उल्लेख किया

नुमालीगढ़ रिफाइनरी नाम की एक ही प्रस्तुति को समर्थन देने के लिए

लिमिटेड वी. डेलिम इंडस्ट्रियल कं. लिमिटेड, (2007) 8 एस. सी. सी. 466; डी. डी. ए. बनाम। आर. एस. शर्मा एंड कंपनी, (2008) 13 एस. सी. सी. 80 और रॉयल एजुकेशन सोसाइटी

वी. एल. आई. एस. (इंडिया) कंस्ट्रक्शन कं. (पी) लिमिटेड, (2009) 2 एस. सी. सी. 261। परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय सं. ने आदेश दिया है कि इनमें से प्रत्येक निर्णय भी मामले को आगे नहीं ले जाता है।

45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पारित किए जाते हैं, वे किसी निर्णय के अनुपात का निर्धारण नहीं करते हैं। मान लीजिए, इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई थी कि क्या कानून के मामले के रूप में, मध्यस्थता, 1996 की धारा 34 में एक पुरस्कार को बदलने की शक्ति पाई जा सकती है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड बनाम। नेविगेंट टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 157, इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में भी मैकडर्मॉट (उपरोक्त) का अनुसरण करते हुए कहा गया है कि इसमें संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है।

धारा 34 के तहत एक मध्यस्थता पुरस्कार निम्नानुसार है: -

(च) कानून में, जहां न्यायालय न्यायाधिकरण के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा पारित निर्णय को रद्द कर देता है, अंतर्निहित विवादों को एक उचित कार्यवाही में नए सिरे से तय करने की आवश्यकता होगी।

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत, न्यायालय या तो दाखिल की गई आपत्तियों को खारिज कर दें, और पुरस्कार को बरकरार रखें, या यदि उप-धारा (2) और (2ए) में निहित आधार बनाए जाते हैं तो पुरस्कार को अलग कर दें। मध्यस्थता निर्णय को संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है।

40. इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस न्यायालय के कम से कम 3 निर्णयों द्वारा इस प्रश्न का अब अंत में निपटारा किया गया है। अन्यथा भी, यह कहना कि न्यायिक प्रवृत्ति एक ऐसी व्याख्या के पक्ष में प्रतीत होती है जिसे पढ़ा जा सकता है

धारा 34 पुरस्कार को संशोधित करने, संशोधित करने या बदलने की शक्ति 1940 के अधिनियम में निहित पिछले कानून की अनदेखी करना होगा; साथ ही इस तथ्य की भी अनदेखी करना होगा कि 1996 का अधिनियम UNCITRAL मॉडल के आधार पर अधिनियमित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर कानून, 1985, जैसा कि रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में बताया गया है, यह स्पष्ट करता है कि अत्यंत सीमित आधारों पर सीमित न्यायिक हस्तक्षेप को देखते हुए, जो किसी पुरस्कार के गुण-दोष से संबंधित नहीं है, धारा 34 के तहत 'सीमित उपचार' 'सीमित अधिकार' के साथ सह-समाप्त होता है, अर्थात्, या तो किसी पुरस्कार को अलग करना या परिस्थितियों के तहत मामले को रिमांड करना।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 में उल्लिखित है। 41. इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के मध्यस्थता अधिनियमों पर एक नज़र डालने से भी यही निष्कर्ष निकलता है। में।

उन विधायी उपायों में से प्रत्येक में, स्पष्ट प्रावधान हैं जो वर्तमान अधिनियम की धारा 34 के विपरीत, एक पुरस्कार को अलग करने की अनुमति देते हैं। पैरा 51 में, विद्वान एकल न्यायाधीश तब एक

मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अदालत का सहारा लेने का उल्लेख करता है, और तर्क देता है कि एक क़ानून की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि उपचार को बीमारी से भी बदतर बना दिया जाए।

जैसा

कि [2021] 5 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारे द्वारा बताया गया है कि "बीमारी" को केवल बहुत सीमित परिस्थितियों में ठीक किया जा सकता है और इस प्रकार उपचार भी सीमित हो जाता है। इसके अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ["सी. पी. सी".] की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के साथ धारा 34 अधिकार क्षेत्र को आत्मसात करना फिर से गलत है। सी. पी. सी. की धारा 115 स्पष्ट रूप से उन तीन आधारों को निर्धारित करती है जिन पर एक संशोधन पर विचार किया जा सकता है और फिर कहा गया है कि उच्च न्यायालय 'ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझता है'। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की विधायी योजना को देखते हुए धारा 34 में ये शब्द गायब हैं। उपरोक्त सभी कारणों से, विद्वान एकल न्यायाधीश के प्रति बहुत सम्मान के साथ, यह कानून में सही नहीं है और इसलिए खारिज कर दिया जाता है।

42. विवादित फैसले के समर्थन में प्रस्तुत करने पर आना

कि यह तथ्य कि केंद्र सरकार एक मध्यस्थ की नियुक्ति करती है और इसलिए मध्यस्थता सहमति से नहीं होगी, जिसके परिणामस्वरूप सरकार

सेवक रबर स्टाम्पिंग एक पुरस्कार जिसे तब उसके गुणों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, संभवतः इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि, इसलिए, योग्यता पर एक चुनौती को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के माध्यम से एक कोच और चार चलाने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में विवादित निर्णय भी गलत है।

43. कर्नल बालासुब्रमण्यन ने हालांकि एक परिच्छेद का उल्लेख किया

जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम। मुख्यमंत्री, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 362 (पैरा 412 से 415 पर)। उन्होंने तर्क दिया कि बेनिओन द्वारा वैधानिक व्याख्या पर अपने क्लासिक में संदर्भित 'उद्देश्यपूर्ण निर्माण' को हमारे द्वारा इस मामले के तथ्यों पर लागू किया जाना चाहिए क्योंकि भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानूनों में, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण लेने और कानून बनाने की आवश्यकता है।

उद्देश्यपूर्ण और वास्तविक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि लाभ जनता तक पहुंचे। हम केवल इतना जोड़ सकते हैं कि कर्नल बालासुब्रमण्यम द्वारा उद्धृत निर्णय एक संवैधानिक प्रावधान से संबंधित निर्णय है।

-

संविधान का अनुच्छेद 342 ए। हमें एम 'कुलोच बनाम में मुख्य न्यायाधीश मार्शल के प्रसिद्ध कथन को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैरीलैंड राज्य, 17 यू. एस. 316 (1819) ने कहा कि "यह एक ऐसा संविधान है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं"-और संविधान लाखों लोगों के जीवन को नियंत्रित करने वाला

एक जीवित दस्तावेज है, जिसकी व्याख्या बदलते समय और जरूरतों की मांगों और मजबूरियों को पूरा करने के लिए एक लचीले विकासवादी तरीके से की जानी चाहिए।

44. संवैधानिक और वैधानिक के बीच का अंतर

इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अहरोन बराक ने इस प्रकार व्याख्या की:

" संविधान की व्याख्या करने का कार्य इससे काफी अलग है।

एक क़ानून का अर्थ लगाने का।

एक क़ानून वर्तमान अधिकारों और ई परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को परिभाषित करता है। 45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दायित्व। इसे आसानी से लागू किया जाता है और उतनी ही आसानी से निरस्त किया जाता है। ए.

इसके विपरीत, संविधान का मसौदा भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका कार्य सरकारी शक्ति के वैध प्रयोग के लिए एक निरंतर ढांचा प्रदान करना है और जब किसी विधेयक या अधिकारों के चार्टर से जोड़ा जाता है, तो व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के निरंतर संरक्षण के लिए। एक बार अधिनियमित होने के बाद, इसके प्रावधानों को आसानी से निरस्त नहीं किया जा सकता है या संशोधित किया गया। इसलिए, इसे समय के साथ विकास और विकास करने में सक्षम होना चाहिए ताकि नई सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक वास्तविकताओं का सामना किया जा सके जो अक्सर इसके निर्माताओं द्वारा कल्पना नहीं की जाती हैं। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और उसे इसके प्रावधानों की व्याख्या करते हुए,

इन बातों को ध्यान में रखें।

यह उद्धरण रामेश्वर प्रसाद (VI) v में उद्धृत किया गया है। यूनियन डाय, (2006) 2 एस. सी. सी. 1 (पृष्ठ 91,92 पर)।45. " वर्तमान विस्तार में प्रासंगिक कानूनों के उद्देश्यपूर्ण निर्माण का उल्लेख नरीमन, जे. द्वारा हाल ही में एक सहमति निर्णय में किया गया है। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2017) 15 एस. सी. सी. 133, सक्रिय व्याख्या के सिद्धांत के रूप में। हालाँकि, यहाँ तक कि "रचनात्मक व्याख्या" में भी निट्स हैं, जो उपरोक्त निर्णय में निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

139. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के आलोक में समग्र रूप से अधिनियम को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि विधायक का इरादा बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना था, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है अर्थात वे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से 18 वर्ष से कम आयु के हैं। न्यायपालिका ने कानून की व्याख्या करने की आड़ में लक्ष्मण रेखा को पार किया है या नहीं, यह निर्धारित करने का सुनहरा नियम वास्तव में है।

क्या किसी न्यायाधीश ने केवल उन खामियों को इस्त्री किया है जो उसने किसी क़ानून में उसके उद्देश्य के आलोक में पाए हैं, या क्या उसने नियम में परिवर्तन किया है।

जिसकी सामग्री से अधिनियम बुना गया है। संक्षेप में, अंतर "है" और "चाहिए" के बीच प्रसिद्ध दार्शनिक अंतर है। क्या न्यायाधीश स्वयं को विधायक के स्थान पर रखता है और खुद से पूछता है कि क्या विधायक का कोई निश्चित परिणाम का इरादा था, या क्या वह यह कहता है कि यह विधायक का इरादा रहा होगा और क्या वह सोचता है कि अगर वह विधायक होता तो क्या किया जाना चाहिए था। यदि टेर, यह स्पष्ट है कि न्यायाधीश तब कुछ जोड़ देगा

विधायक के कथित इरादे के माध्यम से कानून में जो कुछ भी है उससे अधिक और इसकी रचनात्मक व्याख्या से परे जाएगा।

स्वयं को कानून बनाने के लिए। यह इस बिंदु पर है कि न्यायाधीश लक्ष्मण रेखा को पार करता है और एक विधायक बन जाता है, यह बताते हुए कि क्या

कानून के बजाय कानून होना चाहिए।

46. स्पष्ट रूप से यदि कोई धारा 34 में किसी पुरस्कार को संशोधित करने की शक्ति को शामिल करता है, तो वह लक्ष्मण रेखा को पार करना होगा और

और फिर पूछें कि क्या संसद ने इस परिणाम का इरादा किया था। संसद का बहुत स्पष्ट रूप से इरादा था कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 में किसी पुरस्कार में संशोधन की कोई शक्ति मौजूद नहीं है। अनुभव के आलोक में उपरोक्त प्रावधान में संशोधन करना केवल संसद का काम है। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के कार्यकरण में न्यायालयों का गठन करना और इसे दुनिया भर के अन्य विधानों के अनुरूप बनाना।

प्रत्यर्थी की ओर से। कई मामलों में, एनएचएआई ने उन मामलों में भी अपील दायर नहीं की है जो समान हैं, यानी उसी धारा 3 ए अधिसूचना से उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ भूमि मालिक जिला न्यायालय द्वारा उन्हें दिए गए बढ़े हुए मुआवजे से बच गए हैं। इसके अलावा, हम इस तथ्य पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं कि मध्यस्थ ने पूरी तरह से विकृत आधार पर मुआवजा दिया है, यानी 'दिशानिर्देश मूल्य' को ध्यान में रखते हुए जो केवल स्टाम्प शुल्क उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक है, और बिक्री विलेखों को ध्यान में नहीं रखते हैं जो यह भूमि के उचित बाजार मूल्य को दर्शाता है। इस तथ्य को देखते हुए कि इन सभी मामलों में पुरस्कार इसलिए विकृत हैं, जिला न्यायाधीश ने सही कहा।

उसी के साथ हस्तक्षेप किया।

48. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसा कि कर्नल बालासुब्रमण्यम ने तर्क दिया है, इन मामलों में मध्यस्थता पुरस्कार एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दिया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, परिणाम पूरी तरह से विकृत आधार पर दिए गए मुआवजे की रबर मुद्रांकन है। यह देखते हुए कि

तथ्य यह है कि इन याचिकाओं में, कम से कम, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन अधिनियम, 1997 की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी गई है, हमें इस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए कि गंभीर अन्याय किया जाएगा यदि हम तथ्यों पर हस्तक्षेप करते हैं, पुरस्कारों को अलग करते हैं और मामले को उसी सरकारी कर्मचारी को भेज देते हैं जिसने कम भूमि मूल्यों को ध्यान में रखा जो केवल स्टाम्प शुल्क के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक थे। इसका उल्लेख इस समय किया जा सकता है।

कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 जे को एक सीमित चुनौती दी गई थी जब इसने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत सहायता और ब्याज नहीं दिए जाने के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों को बाहर कर दिया था। इस प्रकार, भारत संघ बनाम। तारसेम सिंह, (2019) 9 एस. सी. सी. 304, इस न्यायालय ने अपीलों के एक समूह पर विचार किया जिसमें प्रश्न इस प्रकार निर्धारित किया गया था:

- ई परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय सं। 45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]

1. ..... भारत संघ द्वारा हमारे समक्ष अपीलों का एक समूह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर सवाल उठाता है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि को ऋण और ब्याज का अनुदान न देना, जो कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए उपलब्ध है, कानून की दृष्टि से गलत है और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3-जे को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त कर दिया जाए।

इस हद तक।

52. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने उपरोक्त दो आदेशों में इन मामलों में उठाए गए मुद्दे को स्वीकार कर लिया है। यह श्री दीवान की याचिका को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है कि विवादित निर्णयों को इस आधार पर दरकिनार कर दिया जाना चाहिए कि जब मध्यस्थता पुरस्कारों में मुआवजे या ब्याज का प्रावधान नहीं था, तो भूमि मालिकों द्वारा इस संबंध में कोई धारा 34 याचिका दायर नहीं की गई थी, हमारे समक्ष विवादित डिवीजन बेंच के निर्णयों में मुआवजे और/या ब्याज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आम तौर पर, हम इस याचिका को स्वीकार कर लेते, लेकिन इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार का स्वयं यह विचार है कि 1997 और 2015 के बीच उत्पन्न होने वाले मामलों में भी राहत और ब्याज दिया जाना चाहिए, न्याय के हित में हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र को देखते हुए ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। इसलिए हम घोषणा करते हैं कि भूमि के प्रावधान

ऋण और ब्याज से संबंधित अधिग्रहण अधिनियम धारा 23 (1-ए) और (2) और धारा 28 परंतुक के संदर्भ में देय ब्याज राष्ट्रीय प्रावधान के तहत किए गए अधिग्रहणों पर लागू होंगे।

राजमार्ग अधिनियम। नतीजतन, धारा 3-जे का प्रावधान, इस हद तक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए, असंवैधानिक घोषित किया गया है। तदनुसार, अपील

2019 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 9599 से उत्पन्न होने वाले मामले को खारिज कर दिया जाता है।

50. जैसा कि हमारे द्वारा कहा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन 1997 का उद्देश्य अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3सी के तहत आपत्तियों की सुनवाई की अवधि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के 5ए के तहत 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के विपरीत, राष्ट्रीय राजमार्गों की धारा 3डी (2) के तहत धारा 6 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के समतुल्य एक अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें भूमि केंद्र सरकार में पूरी तरह से सभी बाधाओं से मुक्त होती है।

इसके बाद, जहां भूमि केंद्र सरकार में निहित है और धारा 3 जी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजे के रूप में निर्धारित राशि केंद्र सरकार द्वारा जमा की गई है। धारा 3 एच (1) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी तब निर्देश दे सकता है कि उसके द्वारा नोटिस की सेवा के 60 दिनों के भीतर कब्जा ले लिया जाए।

51. इसके अलावा, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 20 ए को देखते हुए राजमार्ग परियोजनाओं के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करना अब असंभव हो गया है।

जिसे डब्ल्यू. ई. एफ. 01.10.2018 पेश किया गया है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

20 ए. संबंधित अनुबंध के लिए विशेष प्रावधान

अवसंरचना परियोजना।

(1) इस अधिनियम के तहत किसी बुनियादी ढांचा परियोजना से संबंधित अनुबंध से जुड़े मुकदमे में अदालत द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।

अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है, जहां निषेधाज्ञा देने से ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूर्णता में बाधा या देरी होगी।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 20 ख और

धारा 41 के खंड (हेक्टेयर) में "अवसंरचना परियोजना" शब्द का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट परियोजनाओं और अवसंरचना उप-क्षेत्रों की श्रेणी से है।

(2) केंद्र सरकार, अवसंरचना परियोजनाओं के विकास की आवश्यकता के आधार पर, और यदि वह विचार करती है

ऐसा करने के लिए, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी श्रेणी की परियोजनाओं से संबंधित अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक या समीचीन है।

या अवसंरचना उप-क्षेत्र।

(3) केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसे जारी किए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब यह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि, सत्र के तुरंत बाद या लगातार सत्र की समाप्ति से पहले

उपरोक्त सत्रों में, दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हैं कि अधिसूचना नहीं की जानी चाहिए, इसके बाद अधिसूचना केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या कोई प्रभाव नहीं होगी, जैसा भी मामला हो; हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्द करना परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय संख्या के बिना होगा।

45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसके तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव

अधिसूचना।

52. अनुसूची के तहत, श्रेणी संख्या 1 'परिवहन' से संबंधित है और इस श्रेणी में सूचीबद्ध 'अवसंरचना उप-क्षेत्रों' के तहत, खंड (ए) इसमें लिखा है 'रोड एंड ब्रिजेस'।

53. उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण में तेजी लाई गई है। इस अधिनियम की धारा 3जी के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित किए गए पुरस्कार को चुनौती देने की प्रक्रिया में, आवश्यक रूप से, अपना समय लगेगा। इस मामले में, यह समझना थोड़ा मुश्किल है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अपीलों की संपूर्ण व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था द्वारा क्यों प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें एक मध्यस्थ द्वारा पारित एक पुरस्कार, जिसे सहमति से नियुक्त नहीं किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, को केवल गुण-दोष पर नहीं, बल्कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 में निहित सीमित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है।

54. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अंतर मुआवजा इस आधार पर नहीं दिया जा सकता है कि एक अलग सार्वजनिक उद्देश्य की मांग की जाती है। हासिल किया। इसके अलावा, विधायिका यह नहीं कह सकती कि सार्वजनिक उद्देश्य चाहे कितना भी प्रशंसनीय क्यों न हो और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, इसमें शामिल सार्वजनिक उद्देश्य या कानून के आधार पर अलग-अलग मुआवजे का भुगतान किया जाना है।

55. भूमि के एक ही मालिक का मामला लीजिए, जिसके पास एक-दूसरे से सटे दो भूखंड हैं। भूमि का एक टुकड़ा राष्ट्रीय स्तर पर है

राजमार्ग, जबकि भूमि का दूसरा भाग राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ दूरी पर है। क्या यह कहा जा सकता है कि जो भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई है, वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई आस-पास की भूमि की तुलना में बहुत कम मुआवजा देगी, क्योंकि पहले के मामले में, एक सरकारी कर्मचारी द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे योग्यता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, जबकि संदर्भ न्यायालय द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग III के तहत दो अपीलों के साथ दिए गए एक पुरस्कार के विपरीत जिसमें पुरस्कार के गुण-दोष को देखा जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि ऐसे मामलों में भेदभाव व्यापक होगा।

56. वास्तव में, नागपुर सुधार न्यास बनाम में इस न्यायालय के 7 विद्वान न्यायाधीश। विठ्ठल राव, (1973) 1 एस. सी. सी. 500 निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

26. अब यह तय हो गया है कि राज्य विधान के उद्देश्य के लिए एक उचित वर्गीकरण कर सकता है। यह समान रूप से व्यवस्थित [2021] 5 एस. सी. आर. है।

कि वर्गीकरण को उचित होने के लिए दो को संतुष्ट करना होगा

परीक्षण: (i) वर्गीकरण बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए और (ii) अंतर का उस उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्नगत विधान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। इसमें

इस संबंध में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वस्तु स्वयं वैध होनी चाहिए। उद्देश्य स्वयं भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता है, अन्यथा, उदाहरण के लिए, यदि उद्देश्य अल्पसंख्यक के एक वर्ग के खिलाफ भेदभाव करना है तो भेदभाव को इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि एक उचित वर्गीकरण है क्योंकि इसका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तर्कसंगत संबंध है।

27. क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के उद्देश्य से उचित वर्गीकरण क्या हो सकता है यदि कानून का उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण करना है?

28. यह विवादित नहीं होगा कि इस आधार पर अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे के विभिन्न सिद्धांत तैयार नहीं किए जा सकते हैं। कि मालिक बूढ़ा या जवान है, स्वस्थ या बीमार है, लंबा या छोटा है, या क्या मालिक को संपत्ति विरासत में मिली है या उसने इसे अपने प्रयासों से बनाया है, या क्या मालिक राजनेता है या वकील है। इस तरह का वर्गीकरण टिकाऊ क्यों नहीं है? क्योंकि उद्देश्य है

सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य रूप से अधिग्रहण, उद्देश्य समान रूप से है यह हासिल किया गया कि क्या भूमि एक प्रकार के मालिक की है या किसी अन्य प्रकार की

प्रकार।

29. क्या सार्वजनिक उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है? मुआवजे के उद्देश्य से किस भूमि का अधिग्रहण किया जाता है? में।

दूसरे शब्दों में, क्या विधायिका अधिग्रहित भूमि जैसे अस्पताल या स्कूल या सरकारी भवन के लिए मुआवजे के विभिन्न सिद्धांतों को निर्धारित कर सकती है? क्या विधानमंडल यह कह सकता है कि अस्पताल के लिए बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत पर, स्कूल के लिए बाजार मूल्य के 60 प्रतिशत पर और सरकारी भवन के लिए बाजार मूल्य के 70 प्रतिशत पर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा? तीनों उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य हैं और जहाँ तक

मालिक चिंतित है कि उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक सार्वजनिक उद्देश्य है या दूसरा। अनुच्छेद 14 व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करता है और वर्गीकरण को उचित ठहराने के लिए कुछ होना चाहिए।

जो इस व्यक्तिगत अधिकार के लिए एक अलग उपचार को उचित ठहराता है। हमें ऐसा लगता है कि क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 14 के तहत आम तौर पर सार्वजनिक उद्देश्य पर आधारित

वर्गीकरण की अनुमति नहीं है। स्थिति तब अलग होती है जब भूमि का मालिक स्वयं परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्च न्यायालय संख्या में सुधार से लाभ प्राप्त करता है।

45 ई और 220 एनएचएआई बनाम। एम. हकीम [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सुधार न्यास या नगर निगम या सरकार? यह हमें लगता है कि जवाब नकारात्मक में है क्योंकि जहाँ तक

मालिक चिंतित है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमीन है या नहीं।

एक या दूसरे प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किया जाता है। 30. यह समान रूप से मायने नहीं रखता कि यह एक अधिग्रहण अधिनियम है या नहीं।

एक अन्य अधिग्रहण अधिनियम जिसके तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। अगर

दो अधिनियमों का अस्तित्व राज्य को एक मालिक देने में सक्षम बना सकता है

दूसरे से अलग व्यवहार समान रूप से स्थित मालिक जो

जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, वे अनुच्छेद 14 के संरक्षण का दावा कर सकते हैं। 57. इस तथ्य को देखते हुए कि राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन अधिनियम, 1997 ने ऐसा नहीं किया है

हमारे सामने चुनौती दी गई, हम और कुछ भी कहने से बचते हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि ताहेराखातून v में आयोजित किया गया है। सलाम्बिन मोहम्मद, (1999) 2 एस. सी. सी. 635 (पैरा 20 पर), कानून घोषित करने और कानून पर उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करने के बाद भी, हमें तथ्यों पर फैसले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, यदि मामले के न्याय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

58. इस तथ्य को देखते हुए कि इसी तरह के कई मामलों में, एनएचएआई ने

समान रूप से स्थित व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे की तुलना में बहुत अधिक दर पर मुआवजा प्राप्त करने की अनुमति दी गई, और नागपुर सुधार न्यास (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को देखते हुए, हम इन मामलों के तथ्यों पर अपीलार्थियों के पक्ष में अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करते हैं। इसके अलावा, इस तथ्य को देखते हुए कि इन मामलों में अधिकांश पुरस्कार 7-10 बनाए गए थे

वर्षों पहले, इस दूरी पर, इन्हें वापस भेजना उचित नहीं होगा।

नए मामलों की शुरुआत बहुत ही मध्यस्थ या किसी अन्य मध्यस्थ के समक्ष होती है जिसे सहमति से नियुक्त नहीं किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए, अपीलों को तथ्यों पर खारिज कर दिया जाता है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

देविका गुजराल

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।